निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 650) पटना, मंगलवार, 10 जुलाई 2018

सं० 3ए-1-मुक०-85/2016-5159/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

9 जुलाई 2018

विषय :- सिविल रिट सं० 1022/1989 में दायर आई०ए० सं० 339/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 14.07.2016 के आलोक में दिनांक 01.01.96 के बाद एवं दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण संबंधी संकल्प संख्या-885, दिनांक 08.02.2017 में संशोधन के सम्बन्ध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल रिट सं०-1022/1989 में दायर आई०ए० सं० 339/2015 में दिनांक 14.07.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा संकल्प संख्या-885, दिनांक 07.02.2017 निर्गत किया गया। इस संकल्प के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक 01.01.1996 के बाद एवं दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारी को निर्धारित पेंशन (With commutation)/ पारिवारिक पेंशन के 03.07 गुणक या उनके पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन (Minimum 50%) में जो अधिक हो, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य किया जा सकता है। इस क्रम में मूल स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को ही देखा जाएगा तथा यदि वरीय न्यायिक पदाधिकारी का पेंशन, कनीय की तुलना में कम्यूटेशन के कारण कम हो रहा है तो वह इससे आच्छादित नहीं होगा।

2. उक्त संकल्प से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए संशोधन का अनुरोध महालेखाकार कार्यालय बिहार एवं प्रभावित सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त संकल्प से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश का अनुपालन अक्षरश: (Letter and Sprit) नहीं होने एवं महालेखाकार तथा प्रभावित पदाधिकारियों के अनुरोध की सम्यक् समीक्षा के उपरान्त निर्णय सरकार के विचाराधीन था।

4. **सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि**"राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक 01.01.1996 के बाद एवं दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारी को प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2006 से 3.07 गुणक या उनकी सेवानिवृत्ति के समय पदीय वेतनमान में अंतिम आहरित वेतन प्रक्रम के समकक्ष पद का पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन प्रक्रम के 50 प्रतिशत में से, जो अधिक हो, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होगा। इस क्रम में मूल स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को ही देखा जाएगा तथा यदि वरीय न्यायिक पदाधिकारी का पेंशन, कनीय की तुलना में कम्यूटेशन के कारण कम हो रहा है तो वह इससे आच्छादित नहीं होगा।"

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-885, दिनांक 07.02.2017 को इस हद तक संशोधित पढ़ा जाए। इसमें विधि विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 650-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in